संख्या- 145 /2022 / 1041 /चार-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान के अन्तर्गत तुलसी स्मारक भवन के अत्याधुनिकीकरण /निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान के पत्र संख्या- 75/अयो0शो0सं0/भवन सुदृढ़ी0/2022-23 दिनांक 08 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान के अन्तर्गत तुलसी स्मारक भवन के अत्याधुनिकीकरण /निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 362.00 लाख (रूपये तीन करोड़ बासठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-71/2020/467/चार-2020 दिनांक 17 मार्च 2020 तथा शासनादेश संख्या-95/2021/742/चार-2021 दिनांक 26 मार्च 2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) प्रायोजना में सिविल कार्य यूपीसिडको से कराया जायेगा। इंटीरियर वर्क, अलंकरण, कलात्मक कार्य तथा boughout items के कार्य विभागीय स्तर पर अथवा उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम से कराया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) निदेशक, संस्कृति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संस्कृति का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संस्कृति द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान/ निदेशक, संस्कृति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान/ निदेशक, संस्कृति का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय- 51- अयोध्या में विभिन्न कार्य - 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/ दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव

संख्या- 145 /2022 / 1041(1) /चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या।
6- मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), अयोध्या।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।